न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमन्द

(पीठासीन अधिकारी – राकेश कुमार न्योल, आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :–45/2023

दायर दिनांक :–10/06/2023

निर्णय दिनांक :– 10/09/25

अनवान्

1. लहरू पुत्र छोगा नायक निवासी जूणदा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द

वादीगण

बनाम

1. कैलाश पुत्र बालु नायक निवासी जूणदा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
2. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार रेलमगरा जिला राजसमन्द

प्रतिवादीगण

उपस्थित :–

वादी की ओर से – श्री चावण्डसिंह शक्तावत, अधिवक्ता

प्रतिवादी की ओर से –

दिनांक –

वाद बाबत खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं विभाजन

–: निर्णय:–

वादी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कि ग्राम जूणदा तहसील क्षैत्र रेलमगरा में निम्न भूमिया स्थित है। खसरा संख्या 2096, 2097, 2098 कुल खसरा 03 कुल क्षेत्रफल 0.8337 प्रताप पुत्र रामा नायक निवासी जूणदा वादग्रस्त भूमिया का सहखातेदार था। प्रताप ने अपने जीवन काल में वादी के पक्ष में वसीयत पत्र दिनाक 30.01.2008 को निष्पादित किया जिसमें वर्णित किया गया कि वादी प्रताप के भाई छोगा का पुत्र होकर उनकी सेवा चाकरी करता चला आ रहा था। तथा प्रताप ने अपनी मृत्यु के पश्चात उसकी समस्त सम्पति का वादी हकदार होगा। वादी के अलावा अन्य किसी व्यक्ति को कोई उजर नही होगा तथा रिश्तेदारो के समक्ष प्रताप ने वसीयत पत्र निष्पादित कराकर अपना अंगुठा लगाया तथा साक्षीगण बालु, रमेश व मोती ने हस्ताक्षर किये उसके पश्चात प्रताप ने पुनः अपना अंगुठा लगाया। टंकणकर्ता ने वसीयत पत्र न लिख कर इकरार पत्र टंकन कर दिया लेकिन दस्तावेज के अन्दर स्पष्ट रूप से वर्णित किया गया कि मेरी मृत्यु के बाद मेरी चल–अचल सम्पति जमीन जायदाद जो भी मेरे नाम पर है का हकदार लेहरू पुत्र छोगा को होगा अन्य किसी भी भाई बन्द व रिश्तेदारो को हक नही होगा। अर्थात दस्तावेज की भाषा से वसीयत नामा ही हैं।वादी ने प्रतिवादी संख्या 02 के समक्ष मृतक प्रताप पुत्र रामा नायक निवासी जूणदा के हिस्से की भूमियों का नामान्तरकरण वादी के पक्ष में वसीयत के आधार पर समरी कार्यवाही कर नामान्तरकरण निर्णित किये जाने का निवेदन किया गया। लेकिन प्रतिवादी संख्या 02 के द्वारा 02 वर्ष की अवधि तक भी नामान्तरकरण निर्णित नही किया गया जिससे उक्त वाद न्यायालय आप में प्रस्तुत किया जा रहा हैं।उक्त वाद प्रस्तुत करने का हेतुक आज से 02 वर्ष पूर्व से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं। तथा वादी ने प्रतिवादी संख्या 01 को दिनाक 21.02.2023 को वादग्रस्त भूमियो का विभाजन करने को कहा गया प्रतिवादी संख्या 01 के द्वारा विभाजन करने से इन्कार कर दिया गया जिससे विभाजन का वाद हेतु दिनाक 21.02.

उपखण्ड अधिकारी
रेलमगरा

2023 को उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं।प्रताप पुत्र रामा नायक निवासी जूणदा की मृत्यु दिनाक 04.04.2009 को हो चुकी हैं। प्रमाण में प्रताप का मृत्यु प्रमाण पत्र भी हरीस्त के साथ प्रस्तुत किया जा रहा हैं। वादग्रस्त भूमिया ग्राम जूणदा तहसील क्षेत्र रेलमगरा में स्थित होकर कृषि भूमिया है जिससे वाद का श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार न्यायालय आपको हैं।वाद मुल्यांकन की दृष्ठि से मुल्यांकन 1.00.000/– रूपये कायम किया जाकर निश्चित न्याय शुल्क 3.00/– रूपये पर अन्दर अवधि प्रस्तुत हैं। वादग्रस्त भूमियों का विभाजन करवाया जाकर वादी को स्वतंत्र आधिपत्य दिलाया जावें एवं राजस्व अभिलेख में स्वतंत्र अंकन कराया जावें। भूमियों के विकास के लिये विभाजन अत्यन्त आवश्यक है बिना विभाजन के विकास सम्भव नही हैं। वादग्रस्त भूमिया में वादी का 1/4 हिस्सा जमाबन्दी अंकित है एवं प्रतिवादी संख्या 01 का 1/4 हिस्सा अंकित है एवं मृतक प्रताप पुत्र रामा का 1/2 हिस्सा अंकित हैं। प्रताप पुत्र रामा ने अपनी समस्त सम्पति वादी को वसीयत के जरिये दे दी गई है जिससे प्रताप का 1/2 हिस्सा प्रताप की मृत्यु होते ही खातेदारी अधिकार असतित्व में आ चुके थे। वादी के खातेदारी अधिकारो की घोषणा हेतु वाद पत्र प्रस्तुत हैं। वादी का प्रताप पुत्र रामा नायक निवासी जूणदा के बजाय वादी के 1/2 हिस्से कि घोषणा के पश्चात वादी का 3/4 हिस्सा होगा। प्रताप के कोई पुत्र पुत्री व पत्नि के रूप में वारीस नही हैं। जिससे 3/4 हिस्सा का स्वतंत्र का आधिपत्य वादी को दिलाया जावें। उक्त वाद में विभाजन की सहायता चाही गई है जिससे प्रतिवादी संख्या 02 को पक्षकार बनाया गया अन्यथा प्रतिवादी संख्या 02 के विरूद्व कोई अनुतोष नही चाहा गया हैं। वादी के पक्ष में इस आशय की खातेदारी अधिकारो की घोषणा फरमाई जावें की वाद पत्र की कलम संख्या 01 में वर्णित भूमियों में वादी का प्रताप पुत्र रामा नायक निवासी जूणदा के बजाय 1/2 हिस्सा वादी के खातेदारी अधिकारो की घोषणा फरमाई जावें। वादग्रस्त भूमियों में वादी के हिस्से अनुसार विभाजन कराया जाकर वादी को स्वतंत्र आधिपत्य दिलाया जावें राजस्व अभिलेख में स्वतंत्र अंकन कराया जावें। वाद व्ययय वादी को दिलाया जावें अन्य समुचित सहायता वादी प्राप्त रिने का अधिकारी हो प्रदान कराई जावें। वादीगण दस्तावेजी साक्ष्य के जरिये अपने वादपत्र को सिद्व करने में असफल रहा हैं।

–:आदेशः–

अतः प्रकरण में वादीगण दस्तावेजी साक्ष्य के जरिये अपने वादपत्र को सिद्व करने में असफल रहने एवं वादीगण का वाद कुसंयोजन व असंयोजन से भी ग्रसित होने से वादीगण का वाद बाबत् घोषणा के अस्वीकार किया जाता है। इसी अनुसार डिक्री पर्चा कायम हो। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक के मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा

(राकेश कुमार न्योल)
उपखण्ड अधिकारी
रेलमगरा

मूल वाद मे डिक्री (आदेश 20 नियम 6 व 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर(उपखण्ड अधिकारी)रेलमगरा जिला राजसमन्द

(भातासीन अधिकारी – राकेश कुमार न्योल, आर.ए.एस)

राजस्व वाद संख्या :–45/2023

1. लहरू पुत्र छोगा नायक निवासी जूणदा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
वादीगण

बनाम

1. कैलाश पुत्र बालु नायक निवासी जूणदा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
2. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार रेलमगरा जिला राजसमन्द
प्रतिवादीगण

वादी की ओर से – श्री चावण्डसिंह शक्तावत, अधिवक्ता

प्रतिवादी की ओर से –

मे इस आशय मे दिनांक को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि प्रकरण में वादीगण दस्तावेजी साक्ष्य के जरिये अपने वादपत्र को सिद्ध करने में असफल रहने एवं वादीगण का वाद कुसंयोजन व असंयोजन से भी ग्रसित होने से वादीगण का वाद बाबत् घोषणा के अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।

आज दिनांक 10/09/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।

(राकेश कुमार न्योल)
उपखण्ड अधिकारी
रेलमगरा